



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 21.07.2026

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं कोतवाली जालौन पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा० न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा 01 अभियुक्त को दोषी पाते हुए 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त 1- नवाव सिंह उर्फ छोटे दादा भईया पुत्र धर्मेन्द्र सिंह निवासी ग्राम खर्वा कोत० जालौन जनपद जालौन के विरुद्ध कोतवाली जालौन पर मु०अ०सं० 457/19 धारा 323/504/506/354 भादवि व 3(1)द,ध एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया था। "ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल व कोतवाली जालौन पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा० न्यायालय एससी/एसटी कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त नवाव सिंह उपरोक्त को दोषी पाते हुए 02 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 7,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



श्री बृजराज सिंह राजपूत
ADGC



श्री परमहंस तिवारी
प्रभारी मॉनिटरिंग सेल



हे०का० सतेन्द्र राजपूत
कोर्ट पैरोकार



का० आशीष तिवारी
कोर्ट मुहरिर

jalaunpolice

